समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

R-757-II/17

विश्वम जेम्स एण्ड ज्वेलरी इंडिया प्रा.लि.
द्वारा डायरेक्टर श्री ओम प्रकाश कृपलानी,
आत्मज स्व.श्री मूलचंद कृपलानी,
निवासी – 510, पांचवा तल, आशिमा कॉपोरेट जोन,
ऑशिमा मॉल, होशंगाबाद रोड़, भोपाल, म.प्र.

----आवेदक/याचिकाकर्ता

विरूद्ध

1. अमर जीत राय पुत्र श्री मन्टू राय, आयु वयस्क,
निवासी– ग्राम हाटूपुर, तहसील व जिला पन्ना,
मध्यप्रदेश

2. श्रीमति गीता पुत्री श्री योगेश दास, पत्नि श्री मन्टू राय
निवासी– ग्राम हाटूपुर, तहसील व जिला पन्ना,
मध्यप्रदेश

---- अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.
प्र. भू –राजस्व संहिता 1959

यह पुनरीक्षण याचिका, श्रीमान कलेक्टर महोदय, पन्ना के द्वारा,राजस्व प्रकरण कमांक – 2/अ–21/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि आवेदक/याचिकाकर्ता के द्वारा, ग्राम हाटूपुर, प.ह.नं. 34, रा.नि.मं. बृजपुर, तहसील व जिना पन्ना, मध्यप्रदेश स्थित नवीन खसरा कमांक 237/319/2, जो पुराने खसरा कमांक 315, 316, 343 व 344 से मिलकर बना है, के अंश भाग की 0.33 हेक्टेयर भूमि दिनांक 01.08.2014 के पंजीयत विकय पत्र के माध्यम से, अनावेदक कं. 2 से रू. 2,40,000/– दो लाख चालीस हजार रूपये मात्र अदा कर कय की गयी थी, इस प्रकार आवेदक/याचिकाकर्ता एक सदभावी सप्रतिफल केता है।

2. यह कि कय दिनांक से आवेदक/याचिकाकर्ता का उक्त भूमि पर स्वामी के बतौर निरंतर आधिपत्य चला आ रहा है। इसी अवधि में दिनांक 21.11.2014 को,

//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-757-एक/2017 जिला पन्ना विशवम जेम्स विरूद्ध अमरजीत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह एवं अनावेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 2/अ-12 /2014-15 में पारित आदेश दिनांक 27-12-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 28-2-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित	

किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 7.1.19
सदस्य